[2018] 1 एससीआर 233

प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य

बनाम

मैथ्यू के.सी

(सिविल अपील संख्या 1281 2018)

30 जनवरी 2018

[आरएफ नरीमन और नवीन सिन्हा, जेजे.]

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - एसएस.13(4), 17, 18 - वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण देना - उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता - उधारकर्ता का मामला जो वह चाहता था ऋण राशि का भुगतान करें, जैसे कि ऋण राशि को नियमित करने की मांग की गई लेकिन बैंक इस पर विचार करने में विफल रहा - उधारकर्ता द्वारा धारा 226 के तहत रिट याचिका - अंतरिम आदेश पारित किया गया, जमा पर धारा 13(4) के चरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई रु. 3,50,000/- - डिवीजन बेंच द्वारा उसके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई - अपील पर, माना गया: वित्तीय मामलों में एकपक्षीय अंतरिम आदेश देने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास उपाय है अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ना - ऐसे ऋण करदाताओं के खर्च पर उत्पन्न सार्वजनिक धन से दिए जाते हैं - समय पर पुनर्भुगतान को तुच्छ मुकदमेबाजी द्वारा अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - यह अदालत का गंभीर कर्तव्य है कि वह इंतजार किए बिना सही कानून लागू करे एक आपत्ति - कोई भी प्रस्थान, यदि अनुमति योग्य है, तो परिभाषित अपवाद के अंतर्गत आने वाले मामले पर चर्चा किए गए कारणों से होना चाहिए - उच्च न्यायालय को उधारकर्ता के लिए उपलब्ध पर्याप्त वैकल्पिक वैधानिक उपचारों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान दिए बिना रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था बैंक को रिट याचिका की स्थिरता का विरोध करने का अवसर - डिवीजन बेंच की राय है कि बाद में दायर किए गए जवाबी हलफनामे में अंतरिम आदेश पर रोक/संशोधन की मांग की जा सकती है, हस्तक्षेप को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता है - इस प्रकार, आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं हैं, और रद्द कर दिए गए हैं - भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - वैकल्पिक उपाय।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अपने आप में एक पूर्ण कोड है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों से उत्पन्न बकाया राशि की शीघ्र वसूली, धारा 17 के तहत पीड़ित द्वारा अपील का उपाय प्रदान करता है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष, उसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार 18. प्रतिवादी के पास उपलब्ध पर्याप्त वैकल्पिक वैधानिक उपायों को देखते हुए उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। [पैरा 4]

1.2 आम तौर पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अदालत की प्रक्रिया के प्रकट अन्याय या दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से अनिच्छुक है। अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन किसी मामले के दिए गए तथ्यों में और कानून के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि यदि वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के आने वाले मामलों को छोड़कर। [पैरा 6]

1.3 रिट याचिका में दलीलें बहुत ही घटिया हैं और इसमें कोई बयान नहीं है कि शिकायतें किसी भी अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों में आती हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप अलंकारिक है, इसमें कोई विवरण नहीं है और न ही इससे उत्पन्न कोई पूर्वाग्रह है। यह केवल ऋण खाते को नियमित करने की इच्छा पर जोर देता है, जबकि प्रतिवादी केवल इसके लिए जिम्मेदार कारणों से ऋण खाते की सेवा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता है। धारा 13(3ए) के तहत आपत्तियों के निपटान के तुरंत बाद अनुचित जल्दबाजी में रिट याचिका दायर की गई थी। पुनर्प्राप्ति कार्यवाही में तेजी लाने के लिए विधायी योजना, अधिनियम की धारा 17 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के आधार पर, इस स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं करती है। [पैरा 711239-बीसी]

1.4 धारा 13(4) नोटिस के साथ-साथ धारा 8 के तहत कब्ज़ा नोटिस जारी किया गया था। धारा 17 के तहत उपाय अब प्रतिवादी के लिए उपलब्ध था यदि वह व्यथित है। अंतरिम आदेश पारित होने पर इन घटनाक्रमों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया या न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। रिट याचिका स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं थी, बल्कि वसूली के लिए आगे की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर की गई थी। वहाँ कोई दलील नहीं है कि धारा के तहत उपाय

क्यों उपलब्ध है। 17 ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रभावोत्पादक नहीं था और उसे दरकिनार करने के लिए बाध्यकारी कारण थे। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया या जमा करने के निर्देश द्वारा अंतरिम राहत देने के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया। [पैरा 8]

1.5 किसी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति की प्रतीक्षा किए बिना सही कानून लागू करना न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है, खासकर जब कानून अच्छी तरह से स्थापित हो। कोई भी प्रस्थान, यदि अनुमति योग्य है, तो परिभाषित अपवाद के तहत आने वाले मामले के कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए, प्रासंगिक कानून पर ध्यान देने के बाद विधिवत चर्चा की जानी चाहिए। वित्तीय मामलों में एकपक्षीय अंतरिम आदेश देने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने का उपाय है। वित्तीय संस्थानों द्वारा करदाताओं के खर्च पर उत्पन्न सार्वजनिक धन से ऋण दिया जाता है। ऐसा ऋण ऋण लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन जाता है, बल्कि जनता द्वारा सौंपे गए प्रत्ययी क्षमता में दिए गए सार्वजनिक धन के अपने चरित्र को बरकरार रखता है। समय पर पुनर्भुगतान भी धन के संचलन द्वारा किसी अन्य जरूरतमंद को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए तरलता सुनिश्चित करता है और उन लोगों द्वारा तुच्छ मुकदमेबाजी द्वारा अवरुद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो इसके विलासिता का खर्च वहन कर सकते हैं। [पैरा 16]

1.6 रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और विशेष कारण बताए बिना केवल पूछने पर अंतरिम आदेश दे दिया जाना चाहिए था, और वह भी अपीलकर्ता को रिट याचिका की स्थिरता का विरोध करने का अवसर दिए बिना और बाद के घटनाक्रमों पर ध्यान न देने पर अंतराल. डिवीजन बेंच की राय कि बाद में जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, अंतरिम आदेश पर रोक/संशोधन की मांग की जा सकती है, हस्तक्षेप से इनकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं और टिकाऊ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें अलग रखा जाता है। [पैरा 17, 19]

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य **(2010) 8 एससीसी 110: [2010] 9 एससीआर 1;** *महाप्रबंधक, श्री सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम इकबाल और अन्य* **(2013) 10 एससीसी 83: [2013] 8 एससीआर 532;** *आयकर आयुक्त और अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल* **(2014) 1 एससीसी 603;** *पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओसी कृष्णन और अन्य* **(2001) 6 एससीसी 569: [2001] 1 पूरक एससीआर 466;** *यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम पंचानन सुबुद्धि*

(2010) 15 एससीसी 552; *कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* **(2011) 2 एससीसी 782: [2011] 2 एससीआर 602;** *पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम इंपीरियल गिफ्ट हाउस और अन्य* **(2013) 14 एससीसी 622;** *द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य* **(1997) 6 एससीसी 450: [1997] 1 पूरक एससीआर 184 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2010] 9 एससीआर 1	**पैरा 4**	**को संदर्भित करता है**
[2013] 8 एससीआर 532	**पैरा 4**	**को संदर्भित करता है**
(2014) 1 एससीसी 603	**पैरा 6**	**में संदर्भित**
[2001] 1 पूरक एससीआर 466	**पैरा 10**	**को संदर्भित करता है**
(2010) 15 एससीसी 552	**पैरा 12**	**को संदर्भित करता है**
[2011] 2 एससीआर 602	**पैरा 13**	**को संदर्भित करता है**
(2013) 14 एससीसी 622	**पैरा 15**	**को संदर्भित करता है**
[1997] 1 पूरक। एससीआर 184	**पैरा 18**	**को संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 1281।

2015 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 10035 में 2015 के डब्ल्यूए संख्या 1218 में एर्नाकुलम में केरल के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.06.2015 से।

एच. पी. रावल, वरिष्ठ वकील, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री मानसी कपूर, आदित्य पी. अरोड़ा, अपीलकर्ताओं के वकील।

रॉय अब्राहम, प्रवीण के., सुश्री रीना रॉय, सुश्री सीमा जैन, अखिल अब्राहम, हिमिंदर लाल, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निर्णय **नवीन सिन्हा, जे.** द्वारा सुनाया गया। 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में पारित 24.04.2015 के अंतरिम आदेश को चुनौती देती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन की धारा 13(4) के चरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'सरफ़ेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित),

दो सप्ताह के भीतर 3,50,000/- रुपये जमा करने पर। इसके खिलाफ एक अपील को भी डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, अपीलकर्ता बैंक के लिए अंतरिम आदेश में स्पष्टीकरण/संशोधन/परिवर्तन की मांग करना खुला होगा।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एचपी रावल का कहना है कि प्रतिवादी के ऋण खाते को 28.12.2014 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था। रिट याचिका शुरू होने की तिथि पर प्रतिवादी का बकाया 41,82,560/- रुपये था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादी बकाया भुगतान करने में विफल रहा और उपेक्षा की। प्रतिवादी को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत वैधानिक नोटिस 21.01.2015 को जारी किया गया था। धारा 13(3ए) के तहत आपत्तियों पर विचार किया गया, और अपीलकर्ता द्वारा 31.3.2015 को अस्वीकृति की सूचना दी गई। 21.04.2015 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा नोटिस जारी किया गया था।

4. सरफेसी अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण कोड है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों से उत्पन्न बकाया राशि की शीघ्र वसूली, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 17 के तहत पीड़ित द्वारा अपील का उपाय, इसके बाद अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। धारा 18 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी के लिए उपलब्ध पर्याप्त वैकल्पिक वैधानिक उपायों के मद्देनजर रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। अपीलकर्ता को उत्तर दाखिल करने का अवसर दिए बिना, अंतरिम आदेश पहली ही तारीख को पारित कर दिया गया था। **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य**, 2010 (8) एससीसी 110, और **महाप्रबंधक, श्री सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम इकबाल और अन्य**, 2013 (10) एससीसी 83 पर भरोसा रखा गया था। रिट याचिका होनी चाहिए रखरखाव के आधार पर दहलीज पर खारिज कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करके गलती की।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री रॉय अब्राहम ने प्रस्तुत किया कि वह ऋण चुकाने का इच्छुक था, और केवल ऋण खाते को नियमित करने की मांग की थी। ऋण चुकाने में असमर्थता वास्तविक थी, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण हुई, जिससे व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जो प्रतिवादी के नियंत्रण से परे था। ऋण खाते को नियमित करने के अनुरोध पर विचार करने में बैंक की विफलता, धारा 13(3ए) के तहत पारित आदेश के खिलाफ धारा 17 के तहत अपील करने के अधिकार की अनुपस्थिति, प्रतिवादी के पास रिट आवेदन को प्राथमिकता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। क्योंकि प्रतिवादी वास्तव में ऋणों का

भुगतान करना चाहता था। प्रस्तावित संपार्श्विक सुरक्षा में कृषि भूमि भी शामिल थी, जिसे सरफेसी अधिनियम की धारा 31 के तहत बाहर रखा जाना था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था. संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा पसंद किए गए उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में समान रिट आवेदन लंबित हैं, लेकिन बैंक ने चुनौती के लिए अकेले वर्तमान प्रतिवादी को चुना है।

6. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। आम तौर पर यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अदालत की प्रक्रिया के प्रकट अन्याय या दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से घृणा करता है। वर्तमान मामले में, तथ्य विवादित नहीं हैं। अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन किसी मामले के दिए गए तथ्यों में और कानून के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं, सिवाय उन मामलों के जो आयकर आयुक्त और अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल, 2014 (1) एससीसी 603 में देखे गए अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के भीतर आते हैं, निम्नानुसार:

> “15. इस प्रकार, जबकि यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवादों को मान्यता दी है, यानी जहां वैधानिक प्राधिकारी ने प्रश्न में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना में कार्य नहीं किया है, या उन प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है जो निरस्त कर दिए गए हैं, या जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में एक आदेश पारित किया गया है, तो थानसिंह नथमल मामले, टीटाघुर पेपर मिल्स मामले और अन्य समान निर्णयों में निर्धारित प्रस्ताव जो उच्च न्यायालय करेगा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर विचार न करें यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या जिस कानून के तहत शिकायत की गई है, उसमें शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र शामिल है, जो अभी भी क्षेत्र रखता है। इसलिए, जब शिकायतों के निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

7. रिट याचिका में दलीलें बहुत अस्पष्ट हैं और इसमें कोई बयान नहीं है कि शिकायतें किसी भी अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों में आती हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप अलंकारिक है, इसमें कोई विवरण नहीं है और न ही इससे उत्पन्न कोई

पूर्वाग्रह है। यह केवल ऋण खाते को नियमित करने की इच्छा पर जोर देता है, जबकि प्रतिवादी केवल इसके लिए जिम्मेदार कारणों से ऋण खाते की सेवा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता है। धारा 13(3ए) के तहत आपत्तियों के निपटान के तुरंत बाद मार्च 2015 में अनुचित जल्दबाजी में रिट याचिका दायर की गई थी। विधायी योजना, पुनर्प्राप्ति कार्यवाही में तेजी लाने के लिए, 2004 के संशोधन अधिनियम 30 द्वारा अधिनियम की धारा 17 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के आधार पर, इस चरण में शिकायत निवारण प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं करती है, जो इस प्रकार है: -

"**स्पष्टीकरण**.-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उसके प्रतिनिधित्व या आपत्ति को स्वीकार नहीं करने या कारणों के संचार के चरण में सुरक्षित ऋणदाता की संभावित कार्रवाई के कारणों का संचार किया जाता है उधारकर्ता व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को इस उप-धारा के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार नहीं देगा।

8. धारा 13(4) नोटिस के साथ नियम 8 के तहत कब्ज़ा नोटिस 21.04.2015 को जारी किया गया था। सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत उपचार अब प्रतिवादी के लिए उपलब्ध था यदि वह व्यथित है। जब 24.04.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया तो इन घटनाक्रमों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया या अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। रिट याचिका स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं थी, बल्कि वसूली के लिए आगे की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर की गई थी। इस बात की कोई दलील नहीं है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 17 के तहत उपलब्ध उपाय प्रभावकारी क्यों नहीं था और इसे नजरअंदाज करने के लिए बाध्यकारी कारण क्या थे। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया या जमा करने के निर्देश द्वारा अंतरिम राहत देने के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया।

9. सरफेसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि देश में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं है। भारत में वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों पर कब्ज़ा करने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं थी। वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं बिठाया है, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट ऋणों की वसूली में देरी हुई है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित संपत्तियां बढ़ रही हैं। नरसिम्हन समिति I और आईटी के साथ-साथ केंद्र सरकार अधिनियम द्वारा गठित अंध्यारुजिना समिति ने प्रतिभूतिकरण के लिए नए कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों पर कब्जा करने और उन्हें अदालत के हस्तक्षेप के

बिना बेचने का अधिकार देने का सुझाव दिया था, जो उन्हें दीर्घकालिक एहसास करने में सक्षम बनाएगा। संपत्ति, तरलता की समस्याओं का प्रबंधन, परिसंपत्ति देनदारी बेमेल और वसूली में सुधार। समय बीतने के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (बाद में 'डीआरटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही, शीघ्र न्यायनिर्णयन को प्रभावित करने वाली नियमित अदालतों के समक्ष कार्यवाही का पर्याय बन गई थी। आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया और न ही उन पर विचार किया गया।

10. सरफेसी अधिनियम से पहले भी, डीआरटी अधिनियम के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय पर विचार करते हुए **पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओसी कृष्णन और अन्य**, (2001) 6 एससीसी 569 में यह माना गया था कि: -

> "6. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में अपील का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है, अर्थात्, धारा 20 के तहत अपील दायर करना और इस फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर या दायर करके पटरी से उतरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिविल मुकदमा, जो स्पष्ट रूप से वर्जित है। भले ही किसी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं कर सकता है, फिर भी, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है, तो न्यायिक विवेक यह मांग करता है कि न्यायालय उक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से परहेज करे। यह एक ऐसा मामला था जहां उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रतिवादी को अधिनियम द्वारा प्रदान की गई अपील तंत्र का सहारा लेने का निर्देश देना चाहिए था।

11. **सत्यवती टंडन** (सुप्रा) में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। SARFAESI अधिनियम के तहत वैधानिक योजना, ट्रिब्यूनल के समक्ष धारा 17 के तहत पीड़ित के लिए उपचार की उपलब्धता और अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष धारा 18 के तहत अपीलीय उपाय, कानून के उद्देश्य और उद्देश्य पर विस्तृत विचार करने पर, यह देखा गया कि उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय के मद्देनजर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए:-

"43. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने स्थापित कानून की अनदेखी कर दी कि यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रभावी उपाय उपलब्ध है तो उच्च न्यायालय आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा और यह नियम करों की वसूली से जुड़े मामलों में अधिक कठोरता के साथ लागू होता है। उपकर, शुल्क, अन्य प्रकार के सार्वजनिक धन और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का बकाया। हमारे विचार में, सार्वजनिक बकाया की वसूली आदि के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं से निपटते समय, उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बकाया की वसूली के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून अपने आप में एक कोड हैं। क्योंकि उनमें न केवल बकाया राशि की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया शामिल है, बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के गठन की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार का लाभ उठाने से पहले, किसी व्यक्ति को संबंधित क़ानून के तहत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करना चाहिए।

***

55. यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय की बार-बार घोषणा के बावजूद, उच्च न्यायालय डीआरटी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक उपचारों की उपलब्धता की अनदेखी करना जारी रखते हैं और गंभीर प्रतिकूल प्रभाव वाले आदेश पारित करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपना बकाया वसूलने का अधिकार। हम आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करेंगे।"

12. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम पंचानन सुबुद्धि**, 2010 (15) एससीसी 552 में, धारा 13(4) के तहत आगे की कार्यवाही पर रिट क्षेत्राधिकार में 10,00,000/- रुपये जमा करने की शर्त पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण यह न्यायालय पहुंचा। इस प्रकार निरीक्षण करें:

"7. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था। जब प्रतिवादी एकमुश्त निपटान की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, तो उच्च न्यायालय के लिए रिट याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं था और

वह भी इस तथ्य की अनदेखी करके कि धारा 17 के तहत प्रतिवादी के लिए एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। कार्यवाही करना।"

13. **कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, 2011 (2) एससीसी 782 में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था:

"23. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 17 के तहत अपीलकर्ताओं के लिए एक प्रभावशाली उपाय उपलब्ध था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत आम तौर पर राहत उपलब्ध नहीं है। (साधना लोध बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और एसबीआई बनाम एलाइड केमिकल लेबोरेटरीज देखें।)

14. **इकबाल** (सुप्रा) में, यह देखा गया कि धारा 17 के तहत पीड़ित द्वारा चुनौती देने के लिए उपलब्ध 'सरफेसी अधिनियम' की धारा 13 (4) के तहत बैंक की कार्रवाई एक प्रभावोत्पादक उपाय थी और **सत्यवती टंडन** (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 226 के तहत सीधे संस्था टिकाऊ नहीं थी।

"27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वैकल्पिक उपाय अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि जहां एक क़ानून प्रभावकारी और पर्याप्त उपाय प्रदान करता है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार नहीं करने में अच्छा करेगा। गलत विचारों पर, वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

***

28..... हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए उधारकर्ता को धारा 17 के तहत प्रदान किए गए प्रभावकारी उपाय को दरकिनार करने और अपने पक्ष में असाधारण क्षेत्राधिकार लागू करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था, जब उसने खुद को वंचित कर दिया था। उसके आचरण से ऐसी राहत के लिए. ऊपर बताए गए विशिष्ट तथ्यों के आलोक में अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में एकल न्यायाधीश स्पष्ट रूप से गलती पर था। डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के गलत आदेश की पुष्टि करने में भी गलती की।

15. इसी तरह का दृष्टिकोण पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम इंपीरियल गिफ्ट हाउस और अन्य, (2013) 14 एससीसी 622 में लिया गया था, जिसमें कहा गया था: -

> "3. नोटिस प्राप्त होने पर, उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 13(3-ए) के तहत अभ्यावेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी।
>
> 4. हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करना और बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

16. किसी पक्ष द्वारा आपत्ति उठाए जाने की प्रतीक्षा किए बिना सही कानून लागू करना न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है, खासकर जब कानून अच्छी तरह से स्थापित हो। कोई भी प्रस्थान, यदि अनुमति योग्य है, तो परिभाषित अपवाद के तहत आने वाले मामले के कारणों पर चर्चा की जानी चाहिए, प्रासंगिक कानून पर ध्यान देने के बाद विधिवत चर्चा की जानी चाहिए। वित्तीय मामलों में एकपक्षीय अंतरिम आदेश देने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने का उपाय है। वित्तीय संस्थानों द्वारा करदाताओं के खर्च पर उत्पन्न सार्वजनिक धन से ऋण दिया जाता है। ऐसा ऋण ऋण लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन जाता है, बल्कि जनता द्वारा सौंपे गए प्रत्ययी क्षमता में दिए गए सार्वजनिक धन के अपने चरित्र को बरकरार रखता है। समय पर पुनर्भुगतान भी धन के संचलन द्वारा किसी अन्य जरूरतमंद को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए तरलता सुनिश्चित करता है और उन लोगों द्वारा तुच्छ मुकदमेबाजी द्वारा अवरुद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो इसके विलासिता का खर्च वहन कर सकते हैं। सत्यवती टंडन (सुप्रा) में व्यक्त की गई आवश्यक सावधानी को भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले ध्यान में नहीं रखा गया है: -

> "46. यह याद रखना चाहिए कि करों, उपकर, शुल्क आदि की वसूली के लिए राज्य और/या उसकी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डालती है और उन्हें उनके संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने से अक्षम करती है। नागरिक। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन से ऐसे निकायों/संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित

होगा। राष्ट्र। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में स्थगन देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बेशक, यदि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम है कि उसका मामला बाबूराम प्रकाश चंद्र माहेश्वरी बनाम अंतरिम जिला परिषद, व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन में दिए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है। ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार और हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कुछ अन्य निर्णयों के बाद, उच्च न्यायालय सभी प्रासंगिक मापदंडों और सार्वजनिक हित पर विचार करने के बाद उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है।

17. रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और विशेष कारण बताए बिना केवल पूछने पर अंतरिम आदेश दे दिया जाना चाहिए था, और वह भी अपीलकर्ता को रिट याचिका की स्थिरता का विरोध करने का अवसर दिए बिना और बाद के घटनाक्रमों पर ध्यान न देने पर अंतराल में. डिवीजन बेंच की राय कि बाद में जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, अंतरिम आदेश पर रोक/संशोधन की मांग की जा सकती है, हस्तक्षेप से इनकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता है।

18. हम द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य, 1997 (6) एससीसी 450 में पहले से ही देखे गए कारणों के लिए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार करने में मदद नहीं कर सकते हैं, यह देखते हुए: -

> “32. जब कानून में कोई स्थिति इस न्यायालय की न्यायिक घोषणा के परिणामस्वरूप अच्छी तरह से तय हो जाती है, तो उच्च न्यायालयों सहित अधीनस्थ अदालतों के लिए तय किए गए निर्णयों को नजरअंदाज करना और फिर न्यायिक निर्णय पारित करना कम से कम न्यायिक अनुचितता के समान होगा। आदेश जो स्पष्ट रूप से तय कानूनी स्थिति के विपरीत है। इस तरह के न्यायिक दुस्साहस की अनुमति नहीं दी जा सकती है और हम स्थापित सिद्धांतों को लागू न करने और सनकी आदेश पारित करने की अधीनस्थ अदालतों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा करते हैं, जिसका प्रभाव आवश्यक रूप से किसी एक पक्ष को गलत और अनुचित राहत देने का होता है। अब समय आ गया है कि यह प्रवृत्ति बंद हो जाए।”

19. इसलिए विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं और टिकाऊ नहीं हैं। इसलिए उन्हें अलग रखा जाता है और अपील स्वीकार की जाती है।

20. सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक फोरम के समक्ष पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी भी आवेदन में कानून और तथ्य के सभी प्रश्न विचार के लिए खुले रहते हैं।

निधि जैन अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।